

78. शास. महा., कोटा, जिला - बिलासपुर

नांगसंख्या-44-2202-03-(103)(798) - आयोजनेत्तर /आयोजना

1	प्राचार्य	12000-18300	1	
2	प्राध्या. राजनीति	12000-18300	1	
3	प्राध्या. अर्थशास्त्र	12000-18300	1	
4	प्राध्या. हिन्दी	12000-18300	1	
5	प्राध्या. वाणिज्य	12000-18300	1	
6	स.प्रा. भौतिकशास्त्र	8000-13500	1	
7	स.प्रा. वनस्पति	8000-13500	1	
8	स.प्रा. प्राणीशास्त्र	8000-13500	1	
9	स.प्रा. रसायन	8000-13500	1	

क.	पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद		रिमाक
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
10	स.प्रा. गणित	8000-13500	1		
11	स.प्रा. हिन्दी	8000-13500	1		
12	स.प्रा. अंग्रेजी	8000-13500	1		
13	स.प्रा. भूगोल	8000-13500	1		
14	स.प्रा. समाज	8000-13500	1		
15	स.प्रा. राजनीति	8000-13500	2		
16	स.प्रा. अर्थशास्त्र	8000-13500	1		
17	स.प्रा. इतिहास	8000-13500	1		
18	स.प्रा. वाणिज्य	8000-13500	2		
19	कीडा अधिकारी	8000-13500	1		
20	ग्रन्थपाल	8000-13500	1		
21	सहा. ग्रेड-1	4500-7000	1		
23	सहा. ग्रेड-2	4000-6000	1		
24	डाल एन्ट्री ऑपरेटर	3500-5200	-	1	
25	सहा. ग्रेड-3	3050-4590	1		
26	प्रयो. तकनीशियन	4000-6000	4		
27	प्रयो. परिचारक	2750-4400	5		
28	भृत्य	2550-3200	2		
29	बुकलिफ्टर	2550-3200	1		
30	चौकीदार	2550-3200	1		
31	स्वीपर	2550-3200	1		
	योग :-		39	1	

## छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं जनशक्ति नियोजन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 1-85/2004/38,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30-11-05

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
रायपुर छ.ग.

विषय:- उच्च शिक्षा संचालनालय के मैदानी कार्यालय (शासकीय महाविद्यालयों) के सेटअप के सम्बन्ध में ।

राज्य शासन द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्थित 116 शासकीय महाविद्यालयों के लिये कुल 4551 पदों के सेटअप की स्वीकृति प्रदान की जाती है । संस्थावार पदों की सूची संलग्न परिशिष्ट में है । स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. सेटअप में उल्लिखित पदों के वेतनमान की पुष्टि कर ली गई है ।
  2. आयोजना के सभी पद अस्थायी एवं आयोजनेत्तर के सभी पद स्थायी होंगे ।
  3. उक्त संस्थाओं हेतु पद निर्माण सम्बन्धी सभी पूर्व आदेश स्वयमेव अधिक्रमित माने जावेंगे ।
  4. पदों को भरने के लिये प्रस्ताव पृथक से वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजे जायें ।
  5. विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा ।
2. यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 537/1245./ वित्त विभाग/ब-3/2005, दिनांक .10/11/2005. के द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की गई है ।

संलग्न :- स्वीकृत सेटअप की प्रति ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*(Handwritten Signature)*

(जी.डी. गुप्ता) 26/11/05

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग